"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 21, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 (भाद्रपद 21, 1940)

क्रमांक-8350/वि. स./विधान/2018 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018), जो बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 17 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधो के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क. 7 सन् 2017), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में, –

(क) खंड (4) में, शब्द ''अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक ''अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा 171 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) खंड (16) में शब्द ''केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड'' के स्थान पर, शब्द ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) खंड (17) में, उप–खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को सेवाएं या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं; और".

(घ) खंड (18) का लोप किया जाये;

(ङ) खंड (35) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (ग)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (ख)" प्रतिस्थापित किया जाये;

(च) खंड (69) में, उप–खंड (च) में, शब्द एवं अंक "अनुच्छेद 371" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "और अनुच्छेद 371ञ" अंतःस्थापित किया जाये;

(छ) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण**– शंकाओं के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति "सेवा" में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सरल बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है;"

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से, – धारा 7 का संशोधन.

(क) उप–धारा (1) में, –

(एक) खंड (ख) में, शब्द एवं चिन्ह "या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं;" के पश्चात्, शब्द "और" अंतःस्थापित किया जाये तथा सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाये;

(दो) खंड (ग) में, शब्द "क्रियाकलाप " के पश्चात्, शब्द "और" का लोप किया जाये और सदैव लोप किया गया समझा जाये;

(तीन)खंड (घ) का लोप किया जाये और सदैव

लोप किया गया समझा जाये ।

(ख) उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाये, अर्थात् :–

"(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार, उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई प्रदाय है, उन्हें अनुसूची 2 में यथा निर्दिष्ट माल का प्रदाय या सेवा का प्रदाय माना जाएगा।"

(ग) उप–धारा (3) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक "उपधारा (1) और उपधारा (2)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक एवं अक्षर "उप–धारा (1), (1क) और (2)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 9 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में, उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में, माल या सेवा या दोनों के ऐसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे, मानो वह माल या सेवा या दोनों के ऐसे प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है।"

धारा 10 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में, –

(क) उप–धारा (1) में, –

(एक) शब्द "उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर ऐसी दर पर" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक "धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) परंतुक में, शब्द "एक करोड़ रूपए" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़ पचास लाख रूपए" प्रतिस्थापित किया जाये;

(तीन) परंतुक में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(चार)परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आवर्त के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए, जो भी अधिक हो, का प्रदाय कर सकेगा।"

(ख) उप-धारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) उप-धारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;"

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उप-धारा (2) में, खंड (क) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक "की उपधारा (1)" का लोप किया जाये। धारा 12 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उप-धारा (2) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "की उपधारा (2)" जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये। धारा 13 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उप-धारा (2) में, - धारा 16 का संशोधन.

(क) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण**- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है-

(एक) जहां माल का प्रदाय किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किया गया है, चाहे वह

अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा, कार्य कर रहा हो;

(दो) जहां सेवा का प्रदाय, प्रदायकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर और उसके मद्दे किया जाता है।"

(ख) खंड (ग) में, शब्द और अंक "धारा 41" के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर "धारा 41 या धारा 43क" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 17 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में, –

(क) उप–धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण**– इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "छूट–प्राप्त प्रदाय का मूल्य" में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।"

(ख) उप–धारा (5) में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, जो तेरह से अनधिक व्यक्तियों (चालक सहित) बैठने की क्षमता वाला हो, सिवाय तब, जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :–

(अ) ऐसे मोटरयान का आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब

उनका उपयोग—

(एक) निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:—

(अ) ऐसे जलयान और वायुयान का आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(दो) माल के परिवहन के लिए किया जाता है ;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है:

परंतु ऐसी सेवाओं के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा—

(एक) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग, उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(दो) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो —

(अ) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(आ) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों का निम्नलिखित प्रदाय–

(एक) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान को पट्टे पर लेने या किराये पर लेने, सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदाय का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित प्रदाय के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(दो) ऐसे क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और

(तीन) अवकाश या गृह यात्रा रियायत, जैसे अवकाश पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा लाभ :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो।"

धारा 20 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, शब्द और अंक "प्रविष्टि 84" के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर "प्रविष्टि 84 और 92क" प्रतिस्थापित किया जाये।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में, — धारा 22 का संशोधन.

(क) उप–धारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह और कि जहां ऐसा व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य से, जिसके संबंध में केन्द्र सरकार ने इस परंतुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को बढ़ाया हो, माल या सेवा या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा यदि वित्तीय वर्ष में उसका समग्र आवर्त, ऐसे बढ़ाई गई आवर्त की समतुल्य राशि से अधिक हो ।"

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, शब्द "राज्य" के पश्चात् शब्द "जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर और अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य" अंतःस्थापित किया जाये ।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 में, खंड (x) में, शब्द "वाणिज्य आपरेटर" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है" अंतःस्थापित किया जाये। धारा 24 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में, — धारा 25 का संशोधन.

(क) उप–धारा (1) में, परंतुक में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (1) में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथा परिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।"

(ग) उप–धारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य में कारबार के बहु स्थान है, विहित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।"

धारा 29 का संशोधन. 14. मूल अधिनियम की धारा 29 में, –

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "रद्दकरण" के पश्चात्, शब्द "या निलंबन" अंतःस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (1) में, खंड (ग) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) उप–धारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में फाईल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।"

(घ) उप–धारा (2) में, परंतुक में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ङ) उप–धारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, निलंबित कर सकेगा।"

धारा 34 का संशोधन. 15. मूल अधिनियम की धारा 34 में,–

(क) उप–धारा (1) में, –

(एक) शब्द "कोई कर बीजक जारी किया गया है" के स्थान पर, शब्द "एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द "जमापत्र जारी" के स्थान पर, शब्द "किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के

लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

(ख) उप–धारा (3) में, –

(एक) शब्द ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर, शब्द ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द ''नामे पत्र जारी'' के स्थान पर, शब्द ''किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक नामे पत्र जारी'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

16. मूल अधिनियम की धारा 35 में,– धारा 35 का संशोधन.

(क) उप–धारा (5) में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (5) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु इस उप–धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अध्यधीन है।''

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में, – धारा 39 का संशोधन.

(क) उप–धारा (1) में, –

(एक) शब्द ''ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए ''के स्थान पर, शब्द ''ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द ''ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व'' का लोप किया जाये;

(ख) उप–धारा (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।"

(घ) उप–धारा (7) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ड.) उप–धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।"

(च) उप–धारा (9) में, –

(एक) शब्द "उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विहित की जाए" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) परंतुक में, शब्द "वित्तीय वर्ष की समाप्ति" के स्थान पर, शब्द "ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति" प्रतिस्थापित किया जाये ।

नवीन धारा 43क का जोड़ा जाना.

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"43क. विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए प्रक्रिया.–(1) धारा 16 की उप–धारा (2), धारा 37 या धारा 38 में

अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, प्रदायकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदायों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय लेने के प्रयोजनों के लिए, कॉमन पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(4) उप–धारा (3) के अधीन प्रस्तुत न किये गये जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसे इस प्रकार लिया जा सकता है, जो उक्त उप–धारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसे जावक प्रदायों, जिसके लिए प्रदायकर्ता द्वारा उप–धारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, में विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक प्रदायों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु उसकी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(7) उप–धारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जैसा कि विहित की जाए और ऐसी प्रकिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रुपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।

(8) ऐसे जावक प्रदायों, जिनके ब्यौरे उप–धारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रकिया, सुरक्षा उपाय और कर की रकम की अवसीमा,––

(एक) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छः मास के भीतर;

(दो) जिसने कर के संदाय में व्यतिकम किया हो और जहां ऐसा व्यतिकम, व्यतिकम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

वही होगी जैसा कि विहित की जाए।''

धारा 48 का संशोधन. 19. मूल अधिनियम की धारा 48 में, उप–धारा (2) में, शब्द 'प्रस्तुत करने के लिए'' के पश्चात्, शब्द ''और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए'' अंतःस्थापित किया जाये।

धारा 49 का संशोधन. 20. मूल अधिनियम की धारा 49 में, ––

(क) उप–धारा (2) में, शब्द और अंक ''धारा 41'' के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर ''धारा 41 या धारा 43क'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (5) में,–

(एक) खंड (ग) में, अर्द्ध विराम चिन्ह '';'' के स्थान पर, कोलन चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के

संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;"

(तीन) खंड (घ) में, अर्द्ध विराम चिन्ह ";" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(चार) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;"

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– नवीन धारा 49क और 49ख का जोड़ा जाना.

"49क. धारा 49 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के लिये केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

49ख. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उप–धारा (5) के खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों से, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी।"

22. मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप–धारा (9) में, शब्द और अंक "धारा 37" के स्थान पर, शब्द और अंक "धारा 37 या धारा 39" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 52 का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में, –– धारा 54 का संशोधन.

(क) उप–धारा (8) में, खंड (क) में, शब्द "शून्य अंकित" और "शून्य अंकित प्रदायों" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "निर्यात" और "निर्यातों" प्रतिस्थापित

किया जाये।

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (2) में, ––

(एक) उप–खंड (ग) में, मद (एक) में, शब्द ''विदेशी मुद्रा में'' के पश्चात्, शब्द ''या भारतीय रुपये में, जहां कही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञप्त हो,'' अंतःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः–

''(ङ) उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें प्रतिदाय के लिए ऐसा दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;''

धारा 79 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 79 में, उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''**स्पष्टीकरण**– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द 'व्यक्ति' में, यथास्थिति, धारा 25 की उप–धारा (4) या उप–धारा (5) में यथा निर्दिष्ट ''सुभिन्न व्यक्ति'' सम्मिलित होंगे।''

धारा 107 का संशोधन.

25. मूल अधिनियम की धारा 107 में, उप–धारा (6) में, खंड (ख) में, शब्द ''बराबर राशि'' के पश्चात्, शब्द'',अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यधीन रहते हुए'' अंतःस्थापित किया जाये ।

धारा 112 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 112 में, उप–धारा (8) में, खंड (ख) में, शब्द ''बराबर राशि,'' के पश्चात्, शब्द ''अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अध्यधीन रहते हुए,'' अंतःस्थापित किया जाये।

धारा 129 का संशोधन.

27. मूल अधिनियम की धारा 129 में, उप–धारा (6) में, शब्द ''सात दिन'' जहां कही भी आया हो के स्थान पर, शब्द ''चौदह दिन'' प्रतिस्थापित किया जाये।

28. मूल अधिनियम की धारा 143 में, उप–धारा (1) में, खंड (ख) में,– धारा 143 का संशोधन.

(एक) परंतुक में, प्रविष्टि (ii) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक अग्रतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।"

29. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 में, पैरा 4 में, शब्द "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर, शब्द "व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाये । अनुसूची 1 का संशोधन.

30. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, शीर्षक में, शब्द "क्रियाकलापों" के पश्चात्, शब्द "या संव्यवहारों" अंतःस्थापित किया जाये और 1 जुलाई, 2017 से सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाये। अनुसूची 2 का संशोधन.

31. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,–– अनुसूची 3 का संशोधन.

(एक) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल का, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना, प्रदाय ।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल का प्रदाय;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का, भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात्, किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व, माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा, प्रदाय।"

(दो) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित

किया जाये, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 1— पैरा 2 के प्रयोजन के लिये, शब्द "न्यायालय" जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण 2— पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, शब्द "भांडागार में रखे गए माल" का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में उसके लिये समनुदेशित है।"

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्य अंतर्गत प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण करने हेतु उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

और यतः, अधिनियम विद्यमान कर संदाय प्रणाली से नई माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारू संव्यवहार हेतु कतिपय उपबंध करने के लिए उपबंध करता है। तथापि, नई कर व्यवस्था में कतिपय कठिनाईयां सामने आई है। करदाताओं, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों को हुई प्रमुख असुविधाओं में से एक असुविधा, माल और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी फाईल करने और कर का संदाय करने की प्रक्रिया थी। इस संबंध में, प्रस्तावित विवरणी फाइल करने की नई प्रणाली, न्यूनतम दस्तावेजीकरण संबंधी कार्य के साथ लघु करदाताओं के लिए त्रैमासिक रूप से विवरणी फाइल करने और कर का संदाय करने की परिकल्पना करती है। विवरणी फाइल करने की नई प्रणाली को कार्यान्वित करने और साथ ही उपरोक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

और यतः प्रस्तावित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध है, अर्थात् :-

(एक) प्रदायो की परिधि को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 7 का संशोधन;

(दो) राज्य सरकार को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों को अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 9 का संशोधन, जो अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं से कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों के मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय की प्राप्ति के संबंध में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे;

(तीन) अधिनियम की धारा 10 का संशोधन, जिससे कि प्रशमन उद्ग्रहण की सीमा को एक करोड़ रूपए से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रूपए किया जा सके;

(चार) इनपुट कर प्रत्यय के विस्तार क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 17 का संशोधन;

(पांच) अधिनियम की धारा 22 का संशोधन, जिससे कि विशेष प्रवर्ग राज्यों में रजिस्ट्रीकरण के लिए छूट की सीमा को दस लाख रूपए से बढ़ाकर बीस लाख रूपए किया जा सके;

(छः) अधिनियम की धारा 25 का संशोधन, जिससे करदाताओं को यह विकल्प प्रदान करना सुकर बनाया जा सके कि राज्य में अवस्थित कारबार के बहु स्थानों के लिए बहु रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर सकें और विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विकासकर्ता के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध किया जा सके;

(सात) अधिनियम की धारा 29 का संशोधन, जिससे कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रक्रियाधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी निलंबन के लिए उपबंध अंतःस्थापित किया जा सके ;

(आठ) एक नई धारा 43क का अंतःस्थापन, जिससे कि विवरणी फाइल करने की और इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने की नई प्रणाली के लिए उपबंध किया जा सके;

(नौ) अपील से संबंधित अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (6) का संशोधन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील फाइल करने के लिए संदेय पूर्व–जमा रकम की अधिकतम सीमा को पच्चीस करोड़ रूपए तक नियत किया जा सके ;

(दस) अधिनियम की धारा 129 का संशोधन, जिससे कि अभिवहन में माल और प्रवहण को निरुद्ध या उसका अभिग्रहण किए जाने से संबंधित अवधि को सात दिन से बढ़ाकर चौदह दिन किया जा सके।

अतएव, यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

रायपुर,
दिनांक 8 सितम्बर,2018.

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भार साधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 13 राज्य सरकार को कारबार के बहु स्थान रखने वाले व्यक्तियों को कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अनुज्ञा देने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 14 राज्य सरकार को, उस समय रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु सशक्त करता है, जब रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना प्रक्रियाधीन है।

विधेयक का खंड 17 राज्य सरकार को, विवरणियों को फाइल करने और करों का संदाय करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 21 राज्य सरकार को, किन्हीं करों के इनपुट कर प्रत्यय का

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) से उद्धरण

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

* * * *

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, किंतु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है;

* * * * * *

(16) "बोर्ड" से अभिप्रेत है केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

* * * * * *

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगमान के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में के बुक–मेकर की अनुज्ञप्ति ; और

* * * * * *

(18) "कारबार शीर्षका" से अभिप्रेत है किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक, जो ऐसे पृथक्–पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है ;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवांए, जिनसे संबंधित है, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहाँ भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं है ;

* * * * * *

(35) "लागत लेखाकार" से अभिप्रेत है लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखाकार ; 1959 का 23

* * * * * *

(69) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है,—

* * * * * *

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

* * * * * *

(102) ''सेवाओं'' से अभिप्रेत है माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित है ;

* * * * * *

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

प्रदाय की परिधि. 7. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द ''प्रदाय'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु–विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए क्रियाकलाप।

* * * * * *

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,—

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में, माना जाएगा।

* * * * * *

उद्ग्रहण और संग्रहण. 9. (1) * * * * *

* * * * * *

(4) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

* * * * * *

प्रशमन उद्ग्रहण.

10. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो,––

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रूपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पत्र होगा, यदि,––

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है ;

* * * * * *

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

माल के प्रदाय का समय.

12. (1) * * * * *

(2) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :––

(क) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बाबत के बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

* * * * * *

सेवाओं के प्रदाय का समय.

13. (1) * * * * *

(2) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) में के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा—पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है:

परंतु जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से एक हजार रूपए अधिक तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ;

(ii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि प्रदायकर्ता की लेखा—पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

* * * * * *

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें.

16. (1) * * * * *

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

* * * * * *

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है ;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद मे या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया गया हो ; और

* * * * * *

17. (1) * * * * * प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन.

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होंगे।

* * * * * *

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहरण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग, —

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :—

(अ) ऐसे यानों या प्रवहरणों के आगे के प्रदाय के लिए ; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहरणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए :—

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान का प्रबंध करने, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल यो सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल यो सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय पद्राय के लिए या कराधेय संयुक्त या

मिश्रित प्रदाय के कारक के रूप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,—

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप किया जाता है ; और

(iv) अवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत।

* * * * * *

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.

20. (1) * * * * *

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

* * * * * *

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल जो कराधेय नहीं है, के प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से अभिप्रेत है, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आर्वत का मूल्य।

* * * * * *

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

22. (1) * * * * * रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा, यदि किसी

वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रूपये से अधिक है।

*   *   *   *   *

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

*   *   *   *   *

(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

*   *   *   *   *

कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

24. धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,——

*   *   *   *   *   *

(x) प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर ;

*   *   *   *   *   *

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.

25. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति ओर ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर—खंड से प्रदाय करता है, ऐसे राज्य, जहाँ समुचित आधार रेखा का निकटतम बिंदु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।

*   *   *   *   *   *

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण

29. (1)   *   *   *   *   *

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा।

*   *   *   *   *   *

(2)   *   *   *   *   *   *

परन्तु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना

रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

* * * * * *

जमा और नामे पत्र.

34. (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभारित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी प्रदाय के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहां प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की प्रदाय की है प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा।

* * * * * *

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर कर योग्य मूल्य या ऐसी प्रदाय के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय की है प्राप्त कर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा।

* * * * * *

अध्याय 8
लेखे और अभिलेख

लेखे और अन्य अभिलेख.

35. (1) * * * * *

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

* * * * * *

विवरणियां देना.

39. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलैक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उसके पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

* * * * * *

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

* * * * * *

(9) धारा 34 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

* * * * * *

48. (1) * * * * * माल और सेवा कर व्यवसायी

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

अध्याय 10

कर संदाय

49. (1) * * * * * कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकम का संदाय.

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्व–निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा।

* * * * * *

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम निम्नलिखित के लेखे –

* * * * * *

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर

का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

52. (1) * * * * * स्त्रोत पर कर का संग्रहण

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा 37 के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते है तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी।

* * * * * *

अध्याय 11

प्रतिदाय

* * * * * *

54. (1) * * * * * कर प्रतिदाय.

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है–

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर संदत्त कर का प्रतिदाय ;

* * * * * *

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया हो ; या

* * * * * *

अध्याय 15

मांग और वसूली

79. (1) * * * * * * कर की वसूली

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है जो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा।

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

107. (1) * * * * * अपीलीय प्राधिकारी को अपीलें

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने निम्नलिखित संदाय नहीं किया हैं –

* * * * * *

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि।

* * * * * *

अपीलीय अधिकरण को अपील.

112. (1) * * * * *

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,---

* * * * * *

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, जो उस आदेश जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत हुई है।

* * * * * *

अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण.

129. (1) * * * * *

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी :

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्रास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

* * * * * *

अध्याय 21

प्रकीर्ण

* * * * * *

जॉब वर्क की प्रक्रिया।

143. (1) * * * * *

(ख) जॉब वर्क या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट या माउल्ड और डाइस, जिक्स और फिक्सचर या टूल्स से भिन्न पूंजी लाभ कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर से संदाय के बिना अर्थात उसके साथ जैसी स्थिति हो कर के संदाय पर जॉब कर्मकार के कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, प्रदाय करेगाः

परन्तु यह कि प्रधान, इस खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की प्रदाय तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान निम्नलिखित दशा के सिवाए, जॉब वर्कर के कारबार के स्थान को उसके कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा नहीं करता है–

(i) जहां जॉब कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ; अथवा

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल की प्रदाय में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है।

* * * * * *

अनुसूची 1

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों को प्रदाय के रूप में माना जाएगा भले ही बिना प्रतिफल के किया गया हो

* * * * * *

4. कारबार के अग्रसर या अनुक्रम में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात।

* * * * * *

अनुसूची 2

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाए

* * * * * *

अनुसूची 3

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों या संव्यवहार जिन्हे न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय

* * * * * *

6. लाटरी, दांव और जुआ के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे।

* * * * * *

स्पष्टीकरण--- पैरा 2 के प्रयोजन के लिए, शब्द "न्यायालय" जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.